



दिनांक: 21.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को
किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गए जेवर, नगदी, मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01
मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 18.09.2026 को वादी श्री कार्तिक पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम सीकरी कलाँ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के घर से 16000/- रुपये नगद व सोने व चाँदी के जेवरात चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 338/26 धारा 305(ए) बीएनएस का पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना का शीघ्र अनावरण करने तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 04 अभियुक्तगण 1. सन्नी पुत्र भोपाल निवासी नन्दपुरी कालोनी थाना कुतुबशेर थाना चिलकाना स0पुर 2. कार्तिक पुत्र संजय निवासी बागवाला मोहल्ला मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर 3. अभिषेक पुत्र विनोद निवासी गेन्दी का मन्दिर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर 4. अजहर पुत्र मईउद्दीन निवासी इस्लामिया इन्टर कालिज के पास मोहल्ला मछियारो वाला थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को साइफन की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया व मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये हुए 02 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 01 नाक की लौंग (पीली धातु), 01 गले में पहनने वाला पैण्डल (पीली धातु), 2200/- रुपये नकद, 02 मोबाइल फोन व 01 मोटरसाइकिल टीवीएस राईडर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो तीनों ने एक स्वर में पूछने पर बताया कि हम तीनों साथी दिन में घूमते फिरते रहते थे तथा जो घर हमें खाली मिलता था, उसमें घुसकर हम तीनों चोरी करके भाग जाते हैं तथा जो सामान मिलता है उसे हम तीनों आपस में बराबर – बराबर बाट लेते हैं हम तीनों ने करीब तीन चार दिन पहले ग्राम सीकरी में दिन में एक घर में घुसकर चोरी की थी जिसका कुछ सोना हमने सहारनपुर में अजहर सुनार को बेचा था लेकिन उसने हमें पैसे नहीं दिये थे, तथा आज भी हम बचे सामान को अजहर सुनार को बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. सन्नी पुत्र भोपाल निवासी नन्दपुरी कालोनी थाना कुतुबशेर थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. कार्तिक पुत्र संजय निवासी बागवाला मोहल्ला मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।

3. अभिषेक पुत्र विनोद निवासी गेन्दी का मन्दिर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर ।
4. अजहर पुत्र मईउद्दीन निवासी इस्लामिया इन्टर कालिज के पास मोहल्ला मछियारो वाला थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सन्नी

1. मु0अ0सं0 429/26 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 133/25 धारा 115(2), 118(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण :-

- 02 जोड़ी पायल (सफेद धातु)
- 01 नाक की लौंग (पीली धातु)
- 01 गले में पहनने वाला पैण्डल (पीली धातु)
- 2200/- रुपये नकद
- 02 मोबाइल फोन
- 01 मोटरसाईकिल टीवीएस राईडर (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

- 1- श्री अक्षय शर्मा थानाध्यक्ष थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
- 2- उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
- 3- है0का0 1052 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
- 4- रि0का0 586 निखिल कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
- 5- रि0का0 579 दीपक कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
- 6- रि0का0 626 निक्कू सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 21.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा लोगो के साथ धोखाधड़ी करके एटीएम

बदलकर पैसे निकालने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार, 11 एटीएम कार्ड व 3210/-

रुपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 13.09.2026 को वादी श्री विपिन कुमार पुत्र श्री करतार सिंह निवासी गली नं0-4 ई0एस0आई0 हॉस्पिटल न्यू शारदा नगर, थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक: 10.7.2026 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का ए0टी0एम0 बदलकर वादी के खाता से 44000 रुपये निकाल लेने के संबंध में थाना जनकपुरी पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0- 177/26 धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु सम्बन्धित को दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार चीमा के कुशल नेतृत्व में विवेचक उप निरी0श्री अभिषेक कुशवाहा व थाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.09.2026 को उपरोक्त मुकदमें में प्रकाश में आये **अभियुक्त अर्जुन उर्फ जंघी पुत्र राजकुमार निवासी आलमगीरपुर दुधली थाना चरथावल मुजफ्फरनगर** को जेल चुंगी पर एटीएम के पास देहरादून रोड थाना जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के पास से 11 एटीएम कार्ड व 3210 रुपये बरामद बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अर्जुन उर्फ जंघी पुत्र राजकुमार निवासी आलमगीरपुर दुधली थाना चरथावल मुजफ्फरनगर

बरामदगी:-

➤ 11 एटीएम कार्ड व 3210/- रुपये

आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 495/20 धारा 379/411/420 भादवि थाना नवाबाद जिला झांसी
- 2- मु0अ0सं0 496/20 धारा 379/411/420 भादवि थाना नवाबाद जिला झांसी
- 3- मु0अ0सं0 548/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नवाबाद जिला झांसी
- 4- मु0अ0सं0 119/20 धारा 307 भादवि थाना सदर बाजार जिला झांसी
- 5- मु0अ0सं0 120/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जिला झांसी
- 6- मु0अ0सं0 94/22 धारा 379/411/420 भादवि थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर
- 7- मु0अ0सं0 111/22 धारा 379/420 भादवि थाना सिविल लाइन्स जिला मुजफ्फरनगर

- 8- मु0अ0सं0 114/22 धारा 379/411/414/420/465/468/471 भादवि थाना सिविल लाइन्स जिला मुजफ्फरनगर
- 9- मु0अ0सं0 115/22 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन्स जिला मुजफ्फरनगर
- 10- मु0अ0सं0 117/26 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
- 11- मु0अ0सं0 370/26 धारा 318(4)/303(2) बीएनएस थाना मण्डी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री अभिषेक कुशवाहा, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. कां0 1751 अजय कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. रि0कां0 1038 रोबिन, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



दिनांक:-21.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश **थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को** **किया गया गिरफ्तार**

घटना का विवरण:-

दिनांक 09.08.2026 को वादी श्री मुकम्मिल पुत्र सलीम निवासी नाजिम कालौनी पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.लुकमान उर्फ मुन्ना पुत्र युसुफ 2. शौकीन पुत्र युसुफ 3. मुन्ना पुत्र नाम्मा 4. समीर पुत्र उस्मान 5. दानिश उर्फ घोड़ी पुत्र नामालूम निवासीगण नाजिम कालौनी थाना मण्डी सहारनपुर 6. अक्सरा पुत्री नामालूम हाल निवासी नाजिम कालौनी पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी स0पुर व अन्य 5 -7 अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के मौहल्ले के शोएब पुत्र तोएब व शहनवाज पुत्र गुलजार के चाकू , लाठी- डण्डे व अन्य धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने व गाली गलौच करने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 408/26 धारा 190/191(2)/191(3) /352/109(1) बीएनएस** पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान उपरोक्त मुकदमे में वांछित **अभियुक्त 1. दानिश उर्फ घोड़ी पुत्र मुरसलीन निवासी जैन कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को गोल कोठी चिलकाना रोड से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दानिश उर्फ घोड़ी पुत्र मुरसलीन निवासी जैन कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 658 अनिल तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
4. म0है0का0 494 अर्चना थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
5. का0 1627 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
6. म0 का0 1680 चित्रा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 21.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15/05/2026 को वादी श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री सत्यपाल क्षेत्रीय लेखपाल, अतिरिक्त क्षेत्र सराजपुर तकीपुर तहसील नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह पर इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर सरकारी काम में बाधा डालते हुए राजस्व टीम व पुलिस पार्टी का विरोध किया गया तथा थाना गंगोह पर नियुक्त मुख्य आरक्षी के सिर पर जान से मारने की नियत में डण्डा मारना तथा आरक्षी के साथ मारपीट की घटना कारित की गयी थी। दाखिला तहरीर के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 245/26 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/121(2)/109(1) भा0न्या0सं0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व रोकथाम तथा वांछित / वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह श्री इन्द्रेक्ष कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20/09/2026 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. श्यामकुमार उर्फ सुक्खा पुत्र बदलूराम नि0ग्राम बानूखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 2. साहिल पुत्र शिवकुमार नि0 ग्राम बानूखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को यमुना नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. श्याम कुमार उर्फ सुक्खा पुत्र बदलूराम नि0 ग्राम बानूखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. साहिल पुत्र शिव कुमार नि0 ग्राम बानूखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 488 चन्द्रपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 953 आकाश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 955 विकास कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक 21.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा बलवा, पुलिस बल पर हमला एवं लोक व्यवस्था बाधित करने के प्रकरण में वांछित 05 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 28.07.2026 को मु0अ0सं0 542/2026 धारा 140(1),103(1),238(ए),3(5) बीएनएस में मृतक शिवा पुत्र जय प्रकाश निवासी मौहल्ला शशिनगर, कस्बा व थाना देवबन्द, जनपद के परिजनों ने आक्रोश में शव को मुजफ्फरनगर हाईवे पर मण्डी के पास कट हाईवे पर रख कर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए हाईवे जाम करना पुलिस पार्टी पर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देते हुए और अधिक उग्र होकर पुलिस बल पर अचानक से ईंट पत्थरों से पथराव करने लगे और लाठी डण्डों आदि से हमलावर होकर पुलिस वालों के साथ धक्का-मुक्की व मारपीट करना, मौके पर लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाना। उक्त घटना के सम्बन्ध में उ0नि0 डैनी तैनाती थाना देवबन्द द्वारा थाना हाजा पर दिनांक 30/7/26 को मु0अ0सं0- 550/26 धारा 191(2)/191(3)/190/194/115(2)/121(1)/125/126(2)/132/324/271/272/223 बीएनएस व धारा 07 सी०एल०ए० एक्ट व धारा 03 महामारी अधिनियम.बनाम अरुण आदि 25 नफर नामजद व 70-80 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द श्री सन्दीप बालियान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21/09/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 1. लक्की पुत्र ऋषिपाल निवासी गांधी कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. दीपक पुत्र रामपाल निवासी ग्राम फौलादपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 3. विशू पुत्र रोशन 4. आशु पुत्र सनव्वर 5. अक्षय पुत्र पाल्लू निवासीगण मोहल्ला गांधी कॉलोनी शशिनगर, लालवाला रोड, कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को मण्डी के दूसरे गेट के पास से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. लक्की पुत्र ऋषिपाल निवासी गांधी कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. दीपक पुत्र रामपाल निवासी ग्राम फौलादपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

3. विशू पुत्र रोशन निवासी मोहल्ला गांधी कॉलोनी शशिनगर, लालवाला रोड, कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. आशु पुत्र सनव्वर निवासी मोहल्ला गांधी कॉलोनी शशिनगर, लालवाला रोड, कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. अक्षय पुत्र पाल्लू निवासी मोहल्ला गांधी कॉलोनी शशिनगर, लालवाला रोड, कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र०नि० श्री सन्दीप बालियान थाना देवबन्द सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी थाना देवबन्द सहारनपुर
3. उ०नि० श्री रविन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
4. उ०नि० श्री अरुण कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
5. है०का० 1124 राहुल शर्मा थाना देवबन्द सहारनपुर
6. है०का० 990 योगेश कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
7. का० 1980 योगेश कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
8. का० 1646 दीपक बालियान थाना देवबन्द सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21/09/2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 20/09/26 को वादी श्री मुनेश कुमार पुत्र श्री कृपाल सिंह नि० ग्राम जेहरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह पर इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के भाई सुशील के साथ खेत पर बने मकान में घुसकर जान से मारने की नियत से हमला कर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी है। दाखिला तहरीर के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु०अ०स० 445/26 धारा 109(1), 115(2), 351(3) 333 बी.एन.एस. पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व रोकथाम तथा वांछित / वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20/09/2026 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा गस्त के दौरान नामजद अभियुक्त निशान्त गुर्जर उर्फ योगी पुत्र प्रवेश कुमार नि० ग्राम जेहरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को ग्राम जेहरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

नोट – गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त निशान्त गुर्जर उर्फ योगी उपरोक्त द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी तथा पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार (वर्दी फाड़ना) कारित किया गया। जिसके सम्बन्ध थाना गंगोह पर अभियुक्त निशान्त गुर्जर उर्फ योगी उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०स० 446/26 धारा 132/115(2)/131/351(3)/352 बी.एन.एस. भी पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

निशान्त गुर्जर उर्फ योगी पुत्र प्रवेश कुमार नि० ग्राम जेहरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

5. उ०नि० श्री केरन सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. है०का० 579 शेखर चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. का० 984 राज सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. का० 973 सुनील कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 21/09/2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा बलवा, पुलिस बल पर हमला एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के प्रकरण में 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 नाजायज देशी असलाह 12 बोर बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 18/09/26 को वादी उ0नि0 श्री चन्द्रपाल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा दाखिला तहरीर बाबत दिनांक 17/09/26 को ग्राम नाई माजरा में दो पक्षों के मध्य यमुना खादर में जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों द्वारा लाठी डण्डों व अवैध असलाहों से लैस होकर खादर की जमीन के कब्जे को लेकर एक दूसरे के साथ गाली गलौच कर मारपीट पर आमदा फसाद होने व जान से मारने की धमकी देना। जिस कारण अफरा तफरी मच जाना तथा गाँव में भय व आतंक का माहौल व्याप्त होना तथा लोगों का डरकर अपने घरों में छिप जाने के सम्बन्ध में दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 444/26 धारा 191(2)/191(3)/190/131/125ख/ 351(3)/352 बी.एन.एस. व 7 सी.एल.ए. एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व रोकथाम तथा वांछित / वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह श्री इन्द्रेक्ष कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20/09/2026 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियोग में नामजद अभियुक्तगण **1. तस्वीर पुत्र नैय्यर निवासी ग्राम नाई माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 2. अली मौहम्मद पुत्र मुसब्बीर हुसैन उर्फ मसब्बर निवासी ग्राम नाई माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम हुसैनपुर के राजा की बिजली की ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त **तस्वीर** उपरोक्त के कब्जे से 01 बन्दूक देशी 12 बोर व अभियुक्त **अली मौहम्मद** उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद पौना बन्दूक 12 बोर नाजायज बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. तस्वीर पुत्र नैय्यर निवासी ग्राम नाई माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. अली मौहम्मद पुत्र मुसब्बीर हुसैन उर्फ मसब्बर निवासी ग्राम नाई माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 12 अंकुश गौदारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 259 दीपक सागर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. हे0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर